



## न्यायालय श्रीमान बोर्ड आफ रेवेन्यु महोदय, ग्वालियर म.प्र.

देवीप्रसाद आत्मज झुन्नीलाल राय

निवासी खुरसीपार तह.गाडरवारा जिला नरसिंहपुर

...आवेदक

### बनाम

1:- रमेश आत्मज झुन्नीलाल राय

निवासी नेहरूवार्ड कालोनी मेडिकल कालेज के सामने  
गढ़ा जबलपुर तहसील व जिला जबलपुर

2:- चन्द्रशेखर बल्द मनमोहन राय

निवासी कलारी मोहल्ला पिपरिया जिला होशंगाबाद

3:- शीलाबाई वेवा वृजकिशोर राय

मु.पो. खुरसीपार तह. गाडरवारा जिला नरसिंहपुर

4:- भूपेन्द्र आत्मज वृजकिशोर राय

मु.पो. खुरसीपार तह. गाडरवारा जिला नरसिंहपुर

5:- अकाश आत्मज वृजकिशोर राय

मु.पो. खुरसीपार तह. गाडरवारा जिला नरसिंहपुर

6:- लीलावती वेवा भैयालाल मालवीय(राय)

निवासी खिरका मंदिर के पास जगदीश वार्ड गाडरवारा  
तहसील गाडरवारा जिला नरसिंहपुर

7:- त्रिवेणीबाई वेवा राजाराम चौकसे

निवासी जगदम्बा टेन्ट हाउस साईखेडा  
तहसील गाडरवारा जिला नरसिंहपुर

.....अनावेदकगण

## निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म.प्र.भू-रा. संहिता


आवेदक वर्तमान निगरानी राजस्व अपील क्रमांक 36 अ/6 वर्ष 2015-16 न्यायालय श्रीमान अनुविभागीय अधिकारी गाडरवारा के समक्ष प्रस्तुत अपील में धारा 5 समयावधि अधिनियम के आवेदन पत्र को आदेश दिनांक 31/5/2017 से स्वीकार कर अपील गुण दोषों पर तर्क हेतु नियत कर दी गई जिससे पीड़ित होकर निम्नलिखित निगरानी प्रस्तुत है :-

### निगरानी के तथ्य

**न्यायालय राजस्व मण्डल, म० प्र०, ग्वालियर**

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक एक/निगरानी/नरसिंहपुर/भूरा/2017/3001

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिमा त्कों आदि के हस्ताक्षर
8-2-19	<p>आवेदक के अधिवक्ता श्री लखन सिंह धाकड़ उपस्थित। आवेदक अधिवक्ता के तर्क सुने तथा प्रकरण में संलग्न दस्तावेजों का अध्ययन किया। अध्ययन से प्रतीत होता है कि इस न्यायालय में आवेदक अधिवक्ता द्वारा अनुविभागीय अधिकारी गाडरवारा जिला नरसिंहपुर के प्रकरण क्रमांक 36/अ-6/2015-16 में पारित आदेश दिनांक 31/05/17 के विरुद्ध म० प्र० भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा-50 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है।</p> <p>2- म० प्र० भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 में वर्ष 2018 में किये गये संशोधन प्रभावी दिनांक 25.9.18 के अनुसार संहिता की धारा 50 (2) इस प्रकार है:-</p> <p>धारा-50 (2) पुनरीक्षण के लिये कोई आवेदन-</p> <p>(ख) इस संहिता के अधीन प्रथम निगरानी में पारित किसी अंतिम आदेश के विरुद्ध ग्रहण नहीं किया जावेगा।</p> <p>3-परिणामस्वरूप इस न्यायालय में संचालित नही होने के कारण प्रकरण कलेक्टर जिला नरसिंहपुर के न्यायालय में स्थानांतरण किया जाता है तथा पक्षकार दिनांक 15/04/19 को उपस्थित हों।</p> <p>पेशी दिनांक 15/4/19</p> <p><u>कलेक्टर जिला नरसिंहपुर</u></p>	 <p>सदस्य</p>

M ✓